

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2021

विषय:-उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1862/पर्यटन नीति-2018/15-2-1281(3)/2018 दिनांक 11 अगस्त, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षण के प्रोत्साहन हेतु पर्यटन नीति-2018 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मा० मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने एवं पर्यटन उद्योग के बहुमुखी विकास हेतु शासनादेश सं०-14/2018/710/41-2018-01(नीति) /2017 दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा पूर्व में उ०प्र० पर्यटन नीति-2018 प्रख्यापित की गई है।

3- ज्ञातव्य है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को अत्यन्त भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जिसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किये जाने हेतु निवेशक हतोत्साहित हो रहे हैं और पर्यटन क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा निवेश किये जाने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में विभाग को कई होटल एसोसिएशन, पर्यटन उद्योग के निवेशकों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोविड आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों में सहायता हेतु पर्यटन नीति में संशोधन किये जाने हेतु निरंतर अनुरोध पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं।

4- उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा समस्त सुझावों एवं प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु एक विभागीय समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा अन्य प्रदेशों की प्रख्यापित नीतियों का अध्ययन करके एवं विभिन्न होटल एसोसिएशन से प्राप्त उनके अनुरोध पत्रों का परीक्षण करके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रदेश में पर्यटन व सत्कार सेवाओं में और निवेश आकर्षित करने हेतु पर्यटन नीति-2018 में संशोधन किये जाने संबंधी आवश्यक बिन्दुओं पर संस्तुति महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध कराई गई।

5- पूर्व में प्रख्यापित पर्यटन नीति-2016, 05 वर्षों के लिए प्रभावी थी परन्तु पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित होने के कारण पर्यटन नीति-2016 को 02 वर्षों में ही अवक्रमित कर दिया गया, जिससे उद्यमियों को पर्यटन नीति-2016 के लाभ प्रदान नहीं किये जा सके। इस प्रकार पर्यटन नीति 2016 को सम्मिलित करते हुए पर्यटन नीति 2018 की प्रभावी अवधि दिनांक 01 फरवरी, 2016 से निवेशकों को लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया क्योंकि पर्यटन नीति 2018 के प्रख्यापन से विगत 03 वर्षों में निवेशकों को सब्सिडी का लाभ निर्गत न किये जाने से उद्यमियों/निवेशकों के समक्ष असफल पर्यटन नीति की छवि प्रदर्शित हो रही थी।

6- पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत नई इकाईयों की परिभाषा व इकाई के निर्माण के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण उद्यमियों को नीति के वित्तीय प्रोत्साहन व लाभ प्रदान नहीं किये जा पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

7- वर्ष 2016-17 में लीज पर दी गई पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों के निविदादाताओं द्वारा भी उनके निवेश को नया निवेश मानते हुए, निवेश के सापेक्ष सब्सिडी प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में निविदादाताओं द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार गठित विभागीय समिति की आख्यानानुसार अन्य प्रदेशों की पर्यटन नीतियों में लीज पर दी जाने वाली इकाईयों को सब्सिडी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

8- विभाग द्वारा समय-समय पर उद्यमियों/निवेशकों से पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत निवेश में आ रही समस्याओं व सुझावों के संबंध में बैठकें/वेबिनार का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें उद्यमियों/निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25.05.2018के अंतर्गत वर्णित शर्तों बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला(ड्रेनेज) आदि सुविधायें न होने के कारण इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क में छूट प्रदान नहीं की जा रही है, साथ ही एक्सपेंशन कर रही पर्यटन इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किये जाने हेतु संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन द्वारा भी निरंतर अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं।

9- मेले-महोत्सव, स्थानीय व्यंजन/खानपान, संस्कृति, कला आदि के क्षेत्र में भी अत्यधिक निजी निवेश को आकर्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए पर्यटन नीति 2018 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अंतर्गत पंजीकरण किये जाने हेतु और श्रेणियों में यथा-मार्गीय सुविधा, कैरावेन टूरिज्म, वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट/होटल, ग्राम स्टे/फार्म स्टे, कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे व पेईंग गेस्ट योजनाओं को भी सम्मिलित किये जाने हेतु उद्यमियों/निवेशकों द्वारा निरन्तर अनुरोध किया गया है। प्रख्यापित पर्यटन नीति-2018 में शासनादेश सं0-176/2018/3480/41-2018-01 (नीति)/2017 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा कतिपय अन्य स्थलों/सर्किटों को सम्मिलित किया गया।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत 30प्र0 पर्यटन नीति 2018 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	अध्याय व प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	अध्याय-9 प्रस्तर-2	पर्यटन नीति के अंतर्गत नई इकाई की परिभाषा पर्यटन नीति की प्रभावी अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों को नई पर्यटन इकाई माना जायेगा।	पर्यटन नीति के अंतर्गत नई इकाई की परिभाषा 01 फरवरी, 2016 के बाद मानचित्र पारित कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ(निर्माण प्रारम्भ के साक्ष्य हेतु पारित मानचित्र की तिथि, विद्युत कनेक्शन व निर्माण प्रारम्भ करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा ली गई अनापत्ति) करने वाली इकाईयों को नवीन पर्यटन इकाईयों के रूप में माना जायेगा।
2	अध्याय-9 प्रस्तर-2	परिभाषा अंकित नहीं है।	परिभाषा अंकित की जानी है। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में लीज पर दी गई पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों व भविष्य में लीज पर दी जाने वाली इकाईयों को भी संबंधित विकासकर्ता/निवेशक द्वारा किये जाने वाले निवेश के सापेक्ष पर्यटन नीति 2018 में नई पर्यटन इकाई मानते हुए नीति के समस्त लाभ अनुमन्य किये जायेंगे।
3	अध्याय-9 प्रस्तर-1	पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत परिभाषित इकाईयों निम्नवत हैं- 1. होटल 2. बजट होटल 3. हेरिटेज होटल 4. रिसोर्ट 5. स्पोटर्स रिसोर्ट 6. टेन्टेड एकोमोडेशन 7. टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्रेनिंग	पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु निम्न श्रेणियों को भी पर्यटन नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ हेतु सम्मिलित किया जाता है- 1. होटल 2. बजट होटल 3. हेरिटेज होटल 4. इको टूरिज्म रिसोर्ट 5. स्पोटर्स रिसोर्ट 6. टेन्टेड एकोमोडेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>इन्स्टीट्यूट्स</p> <p>8. एडेवेन्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट</p> <p>9. थीम पार्क</p> <p>10. कन्वेंशन सेंटर</p> <p>11. रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट</p> <p>12. वेलनेस टूरिज्म यूनिट</p>	<p>7. टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स</p> <p>8. एडेवेन्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट</p> <p>9. थीम पार्क</p> <p>10. कन्वेंशन सेंटर</p> <p>11. रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट</p> <p>12. वेलनेस टूरिज्म यूनिट</p> <p>13. मार्गीय सुविधा</p> <p>14. कैरावेन टूरिज्म</p> <p>15. ग्राम स्टे/फार्म स्टे</p> <p>16. कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट</p> <p>17. साउण्ड एण्ड लाइट शो/लेजर शो</p> <p>18. टूर एण्ड ट्रेवल ऑपरेटर</p> <p>19. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे/पेयिंग गेस्ट</p> <p>होटल-</p> <p>न्यूनतम रु0 10.00 करोड़ का निवेश (भूमि की लागत छोड़कर) व न्यूनतम 50 कक्षों की आवासीय सुविधाप्रदान करने वाली इकाईयों को होटल माना जायेगा। भूमि क्षेत्रफल 02 एकड़ होने की स्थिति में न्यूनतम कक्षों की संख्या 30 हो सकती है।</p> <p>मार्गीय सुविधा:-</p> <p>राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्ग या जिला प्रमुख सड़क या इन सड़कों से कुछ दूरी (100 मीटर के अन्दर) पर स्थापित होने वाली सामान्य जन सुविधाएं (क्षेत्रफल 500 वर्ग मी0)। डब्लू0एस0ए0 नीति 2016 के अनुसार वे-साइड सुविधाएं स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार/पर्यटक कोच/बस पार्किंग 2. एयर कंडीशन फूड प्लाजारिस्टोरेन्ट (न्यूनतम 25 व्यक्तियों की क्षमता) 3. महिलाओं, पुरुषों और विकलांगों के लिए अलग-अलग शौचालय। 4. बच्चों का खेल क्षेत्र/लॉबी 5. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा/दूरसंचार सुविधा। 6. 24/7 पानी और बिजली की आपूर्ति <p>मार्गीय सुविधाओं की स्थापना में निवेश हेतु</p>
--	---	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

			<p>न्यूनतम रू0 10 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20 लाख तक होगी।</p> <p>कैरावेन टूरिज्म:-</p> <p>पर्यटन हेतु विशेष रूप से निर्मित वाहन(न्यूनतम वीहल बेस 03 मीटर एवं लम्बाई 05 मीटर) जिसका उपयोग समूह उन्मुख अवकाश के उद्देश्य के लिए किया जाता हो एवं जिसमें कम से कम 2 बिस्तर की क्षमता हो।</p> <p>पर्यटन मंत्रालय के तहत निर्धारित कैरावेन की न्यूनतम आवश्यकताएँ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 लोगों के लिए सोफा सह बिस्तर। 2. फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ किचेन। 3. टॉयलेट क्यूबिकल में हैंड शॉवर और पर्याप्त ताजे पानी का भंडारण। 4. चालक के पीछे विभाजन। 5. लेनिन एण्ड क्लोदिंग हेतु स्टोरेज। 6. यात्री और चालक के बीच संचार। 7. एयर कंडीशन (वांछनीय)। 8. खाने की मेज। 9. ऑडियो/वीडियो सुविधा। 10. पूर्ण चार्जिंग सिस्टम- बाहरी और आंतरिक। 11. जीपीएस (वांछनीय)। 12. कैरावेन सेनेटाइजेशन, बिजली, सीवरेज, पानी एवं पार्किंग सुविधाएं। <p>कैरावेन टूरिज्म की स्थापना में निवेश हेतु न्यूनतम रू0 25 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20 लाख तक होगी।</p> <p>ग्राम स्टे/फार्म स्टे:-</p> <p>न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में न्यूनतम 10 कक्षाओं की क्षमता में स्थानीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्थापित होने वाली पर्यटन इकाईयाँ जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति/कला/संगीत/खानपान/क्राफ्ट का अनुभव प्राप्त करायेंगी।</p> <p>ग्राम स्टे/फार्म स्टे की स्थापना में निवेश हेतु न्यूनतम रू0 25 लाख की परियोजना में 20 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा</p>
--	--	--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			<p>रु0 10 लाख तक होगी।</p> <p>कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट:-</p> <p>कैम्पिंग और टेंट सुविधाओं में कम से कम 1000 वर्ग मीटर का खुला मैदान एवं न्यूनतम 20 व्यक्तियों के लिए टेंट आवास क्षमता (न्यूनतम 10 टेंट) होनी चाहिए। कुल टेंट का क्षेत्रफल 200 वर्ग मी0 व सभी टेंटों में अटैच्ड शौचालय होने आवश्यक है। टेंटों को कम से कम 0.5 फीट भूमि से ऊपर उठे हुए प्लेटफॉर्म पर लगाना होगा। टेंट से कम से कम 200 वर्ग मीटर में मनोरंजन, विश्राम और लॉकर हेतु इको-फ्रेंडली सुविधाओं के साथ पर्याप्त बिजली, पानी आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, सीवरेज डिस्पोजल और जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए।</p> <p>उक्त की स्थापना में निवेश हेतु न्यूनतम रु0 20 लाख की परियोजना में 25 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50 लाख तक होगी।</p> <p>निवेशक को कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेंट यूनिट का संचालन प्रतिवर्ष न्यूनतम 05 माह के लिए करना होगा, जिसमें एक वर्ष की अवधि 01 जुलाई से अगले 30 जून तक होगी। विभाग द्वारा सब्सिडी का लाभ निवेशक को 05 वर्षों के सफल संचालन के दौरान 05 बराबर किस्तों में देय होगी।</p> <p>रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट:-</p> <p>पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजीकृत अलकनन्दा रिवर क्रूज के सफल संचालन से प्रेरित होकर विभाग अयोध्या व वाराणसी में रिवर क्रूज टूरिज्म यूनिट को बढ़ावा देने हेतु निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है-</p> <p>पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रदेश के नदी/जलाशय/झील/तालाब में संचालन प्रारम्भ करने वाली रिवर क्रूज/याच/हाउसबोट/नाव /फेरारी एवं अन्य जल क्रीडियों को पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत गठित निम्न समिति के अनुमोदनोपरान्त पंजीकरण कर संचालन प्रारम्भ</p>
--	--	--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		करना अनुमन्य होगा:-																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विवरण</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश</td> <td>सदस्य सचिव</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त पंजीकरण के अतिरिक्त इकाई को संचालन हेतु अन्य किसी विभाग से कोई अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।</p>	क्र.स.	विवरण		1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष	2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य	3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य	4	निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य	5	महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
क्र.स.	विवरण																			
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष																		
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य																		
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य																		
4	निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य																		
5	महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव																		
4	वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म	वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म के क्षेत्र रोजगार को बढ़ावा दिये जाने व निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उक्त सर्किट में स्थापित होने वाली इको टूरिज्म रिसोर्ट इकाईयों के लिए पूंजीगत अनुदान की सीमा वर्तमान निर्धारित दर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है, जिसमें अधिकतम देय सब्सिडी की सीमा ₹0 10 करोड़ ही रहेगी। वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट में स्थापित होने वाले होटल/बजट होटल/टैंटेड एकोमोडेशन को बफर जोन के अंदर निर्माण हेतु वन विभाग से सभी अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त व संबंधित वाइल्ड लाइफ संकचुरी/नेशनल पार्क की बाउण्ड्री से 10 कि०मी० के अंदर निर्माण किये जाने पर ही																		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			स्थापित इकाई सब्सिडी हेतु अर्ह होगी।
5	अध्याय-10 प्रस्तर-4 भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क	सभी नवीन पर्यटन इकाईयों को भूमि उपयोग रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट मिलेगी। लीज होल्ड टूरिज्म इकाईयों को विकास प्राधिकरणों के नियमों के अन्तर्गत फ्री-होल्ड कराने की अनुमति प्राप्त होगी।	पर्यटन नीति में सभी पात्र नवीन एवं एक्सपेंशन कर रही पर्यटन इकाईयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान है। इस हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25.05.2018 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-465/आठ-1-18-59 विविध/2018 दिनांक 25.05.2018 के बिन्दु सं0-4.4 के अनुसार जिन पर्यटन इकाईयों की स्थापना ऐसे स्थलों पर की जा रही है, जहाँ बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि सुविधायें न हो, उन्हें भू उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क में छूट अनुमन्य नहीं होगी। उक्त पर्यटन इकाईयों के उद्यमी से सभी वर्णित आवश्यकताओं का प्रबन्ध उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा, का शपथ पत्र प्राप्त कर इकाई को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त होगी।
6	अध्याय-10 प्रस्तर-8 कौशल विकास	<ul style="list-style-type: none"> नीति में पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे आतिथ्य सम्बन्धी कौशल विकास पाठ्यक्रमों के शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह प्रतिपूर्ति एक पखवारा या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु अधिकतम ₹0 10,000 प्रति व्यक्ति होगी। यह प्रतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष अधिकतम 1000 प्रतिभागियों हेतु होगी जो दो भागों में की जायेगी। स्थानीय क्षेत्र के पर्यटन गाइड को प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति, अधिकतम एक बार ₹0 5 हजार के भत्ते का भी प्रावधान है। देय धनराशियाँ सम्बन्धित कोर्स के थर्ड पार्टी मूल्यांकन के द्वारा उसके उपयोगी 	<ul style="list-style-type: none"> नीति में पर्यटन विभाग द्वारा सरकारी विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे आतिथ्य सम्बन्धी कौशल विकास पाठ्यक्रमों के शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह प्रतिपूर्ति एक पखवारा या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु अधिकतम ₹0 10,000 प्रति व्यक्ति होगी। यह प्रतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष अधिकतम 1000 प्रतिभागियों हेतु होगी जो दो भागों में की जायेगी। कुल धनराशि में से संस्थान को 60 प्रतिशत (50 प्रतिशत संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व व शेष 50 प्रतिशत प्रशिक्षण होने के उपरान्त देय होगी) तथा शेष 40 प्रतिशत प्रतिभागी को अदा की जायेगी। प्रतिभागी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		पाये जाने पर ही भुगतान की जायेगी। यह मूल्यांकन पर्यटन विभाग द्वारा नामित संस्था द्वारा किया जाएगा।	द्वारा प्रस्तावित कोर्स आरम्भ होने से पूर्व अनुमोदित किया जा सकेगा तथा भुगतान वास्तविक प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय क्षेत्र के पर्यटन गाइड को प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति, अधिकतम एक बार ₹0 5 हजार के भते का भी प्रावधान है। • देय धनराशियाँ सम्बन्धित कोर्स के थर्ड पार्टी मूल्यांकन के द्वारा उसके उपयोगी पाये जाने पर ही भुगतान की जायेगी। यह मूल्यांकन पर्यटन विभाग द्वारा नामित संस्था द्वारा किया जाएगा। • पर्यटन प्रबंध संस्थान को उच्चिकृत कर प्रदेश में पर्यटन प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन विद्यालयों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर मानव संसाधन के विकास में उनका योगदान लिया जाएगा।
7	अध्याय-10 बिन्दु-1	रामायण सर्किट-अयोध्या, चित्रकुट, श्रृंगवेरपुर, विजेथुआ महावीरन (सुल्तानपुर), बिठूर (कानपुर)।	रामायण सर्किट-अयोध्या, चित्रकुट, श्रृंगवेरपुर, विजेथुआ महावीरन (सुल्तानपुर), बिठूर (कानपुर), राम-भरत मिलाप स्थल भारतभारी डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
8	अध्याय-10 बिन्दु-7	शक्तिपीठ सर्किट-विन्ध्यवासिनी देवी विन्ध्याचल, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन (बलरामपुर), कड़ावासिनी(कौशाम्बी), ललिता देवी (नैमिषारण्य), ज्वाला देवी (सोनभद्र), शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर), शिवानी देवी (चित्रकूट), कात्यायिनी देवी (मथुरा), शीतला चौकिया धाम (जौनपुर), सीता समाहित स्थल (भदोही), अलोपी देवी, ललिता देवी, प्रयागराज, विशालाक्षी देवी (वाराणसी), बेल्हादेवी, गायत्री शक्ति पीठ (सुमेरपुर), बैरागढ़ माता, कौंच (जालौन), चंडिका देवी, बक्सर (उन्नाव), कुष्माण्डा देवी घाटमपुर (कानपुर देहात), देवकली मंदिर (औरैया), माँ तरकुलहा देवी धाम (गोरखपुर), माँ शीतला	शक्तिपीठ सर्किट-विन्ध्यवासिनी देवी विन्ध्याचल, पाटेश्वरी देवी देवीपाटन (बलरामपुर), कड़ावासिनी (कौशाम्बी), ललिता देवी (नैमिषारण्य), ज्वाला देवी (सोनभद्र), शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर), शिवानी देवी (चित्रकूट), कात्यायिनी देवी (मथुरा), शीतला चौकिया धाम (जौनपुर), सीता समाहित स्थल (भदोही), अलोपी देवी, ललिता देवी, प्रयागराज, विशालाक्षी देवी (वाराणसी), भैरव देवी (हमीरपुर), गायत्री शक्ति पीठ सुमेरपुर (हमीरपुर), बैरागढ़ माता, कौंच (जालौन), चण्डिका देवी, बक्सर (उन्नाव), कुष्माण्डा देवी घाटमपुर (कानपुर देहात), देवकली मंदिर (औरैया), माँ तरकुलहा देवी धाम (गोरखपुर), माँ शीतला माता स्थल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	माता स्थल (मऊ)।	(मऊ), गालापुर माता मंदिर, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
--	-----------------	---

11- वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

11.1 पूँजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) व ब्याज सब्सिडी हेतु निवेशक द्वारा महानिदेशक, पर्यटन को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर सब्सिडी दिये जाने पर निर्णय निम्न समिति द्वारा किया जाएगा:-

क्र.सं.	विवरण	
1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव

11.2 पूँजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) व ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त पर्यटन नीति 2018 में वर्णित सभी अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनुदान दिये जाने पर निर्णय निम्न समिति द्वारा किया जाएगा:-

क्र.सं.	विवरण	
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना तकनीकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	नामित विशेष सचिव	
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव	सदस्य
6	प्रधानाचार्य, होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7	महानिदेशक पर्यटन/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(संबंधित अधिकारी), पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष यदि उपयुक्त समझें तो आवेदन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये परीक्षण हेतु किसी अन्य विभाग (विभागों) के अधिकारी (अधिकारियों) को समिति में नामित कर सकेंगे।

12- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अंतर्गत पर्यटकों को अपने घरों में ही में ठहरने हेतु सुविधा प्रदान किये जाने हेतु बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना संचालित की गई थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर पर्यटकों को क्षेत्रीय व्यंजन कला व संस्कृति का अनुभव प्रदान किया जा सके एवं स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उपरोक्त बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत होम स्टे व पेड़िंग गेस्ट भी सम्मिलित है। यह एक पूर्णतः गैर-व्यवसायिक है। ऐसी सभी इकाईयों से विद्युत कर, जल कर, गृह कर आदि आवासीय दर पर लिये जायेंगे।

13- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर को पर्यटन नीति के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया जायेगा। पंजीकृत टूर-ट्रेवल ऑपरेटर द्वारा मात्र उत्तर प्रदेश के ही पैकेज ऑफर किये जायेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले-महोत्सव व इंटरनेशनल ट्रेवल मार्टों में पंजीकृत टूर-ट्रेवल ऑपरेटरों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

14- 30प्र0 पर्यटन नीति 2018 में उपरोक्त संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) वर्ष 2018 की पर्यटन नीति में प्रस्तावित संशोधनों के लागू होने के पूर्व के उन प्रकरणों को जिन पर पर्यटन नीति-2016 व पर्यटन नीति-2018 के प्राविधानान्तर्गत प्रस्तावित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें निस्तारित माना जायेगा। यदि इन प्रकरणों के पुनर्जीवन पर विचार किया जाता है, तो पर्यटन विभाग पुनर्जीवन की आवश्यकता एवं औचित्य पर स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
- (2) वर्ष 2018 की पर्यटन नीति में प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वगामी तिथि 01-02-2016 से प्रभावी किये जाने के स्थान पर उस तिथि से संशोधनों को प्रवृत्त माना जायेगा, जिस तिथि को पर्यटन नीति-2018 लागू हुई है, क्योंकि पर्यटन नीति-2018 पूर्व की पर्यटन नीति-2016 को अवक्रमित करते हुए लागू हुई थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) ऐसी पर्यटन इकाईयों को भी वर्तमान नीति में प्रस्तावित लाभ देने पर विचार किया जायेगा जो:-

1- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने एवं नवाचार लाने में सहायक हो।

2- ऐसी इकाईयों जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एवं नियमों का पालन करे।

3- नवीकरण ऊर्जा/अक्षय ऊर्जा तथा कार्बन फुट प्रिंट कम करने में सहायक हो।

(4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.05.2018 के प्रस्तर-4(2) के वर्तमान प्राविधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
पर्यटन इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित राज्य सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।	पर्यटन इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने अथवा भविष्य में मूल प्रयोजन से इतर उपयोग किये जाने अथवा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित राज्य सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

(5) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना में आच्छादित भवनों से किराया प्राप्त होता है। अतः ऐसी स्थिति में नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 140 की उपधारा-2 के खण्ड (ख) और 30प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 174 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्राविधानों के अधीन किराये पर उठे आवासीय भवनों के अनुरूप योजना में आच्छादित भवनों के वार्षिक मूल्य की गणना करके सम्पत्ति कर, जलकर और जल निकास कर (सीवर कर) अधिरोपित किया जाएगा।

(6) 30प्र0 पर्यटन नीति 2018 के प्राविधानों के अधीन सम्बन्धित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए मा0 मंत्रि-परिषद् के निर्देशानुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 20/2018/525/94-स्टा0 नि0-2-2018-700(60)/2018 दिनांक 06.06.2018 निर्गत की जा चुकी है। अतः प्रस्तावित संशोधन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

फलस्वरूप प्रभावित होने वाली इकाईयों को अधिसूचना दिनांक 06.06.2018 के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ सन्देय नहीं होगा।

- (7) पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।
- (8) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (9) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 एवं इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।
- (10) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (11) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथा आवश्यकता पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (12) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित इकाईयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (13) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्रोतों से संबंधित इकाईयों के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (14) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।

- (15) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्तें/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) टी.टी.जेड. क्षेत्रान्तर्गत के प्रकरणों पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
3/10/11 2021
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 606 /2021/2286(1)/41-2021-01(नीति)/2017 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- 4- अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0।
- 5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0।
- 6- कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
- 7- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 8- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
- 10- समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 11- समस्त उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उ0प्र0।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
- 13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Sh 10/11/21
(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।